

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत महायुक्त कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर) राज० मुकाम मसूदा  
श्रीमति मधु टोंक व अन्य बनाम जसवंत व जेम  
 क्रिम मुकदमा 1/5128 CR. Act नं. 07/2018  
 सन 2018/00138

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/2/18	<p>वकील प्राची उपस्थित / जांच रिपोर्ट से जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट पर दूर नमिस्तर हो। अजायबिता की लालकी से नोटेस जांच है। पत्रावली दिनांक 15/3/18 के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चावला)          उपखण्ड अधि. एवं महायुक्त कलेक्टर          मसूदा (अजमेर) राज०</p>	
15/3/18	<p>वकील प्राची उपस्थित। अजायबी सजा। से 9 की लालकी होकर नोटेस तामील हुआ जाच परन्तु हाजिर नही आता अजायबी सजा। से 8 के 6हर 6हर कर आवाले लागवाड गडी परन्तु उक्की अजे से कोई हाजिर नही आया अह अजायबी सजा। से 8 की छ तरफा कार्यवाही अगल से लाई जाती है। वकील प्राची को सुना गया पत्रावली को अवलोकन करे पर पाया कि जाच रिपोर्ट घास 128 CR Act वकील प्राची को से स्वीकार किया जाता है। तथा लक्ष्मीलदा विजयकर जालिया द्वितीय धिति आराजी द्वारा 4498 खका 03-02-10 के मांका कमिस्तर निरुक्ता के 1500/- कोस्ट पर निरुक्ता कर निदेशित किया जाता है। कि अजायबी अकि का जरिफ भाप एव शिमाकृत कर पत्थर गडी करजाक इनिशियल करके लाइव कोस्ट प्रथम व थर्ड कोस्ट का मां कि किना गजा मासत के पत्र अजायबी नम्बर के कम है। बाद लफ्तर पारिषद है।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश चावला)</p>	

